

Order No:- 04AL/2020-21



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक- 17.08.2020

**सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश**

माननीय सांसद Smt. Chinta Anuradha के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 4 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	CH. RANADHEER SWAMY	ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED		
2	GADHE VASUDEVA NAVNEETH KUMAR	ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED		
3	VASAMSETTI VEERA ANIL KUMAR	ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED		
4	PANDHIRI SNEHANSH	ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED		
5	CHINTA ROSHINI DEVI	ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED		
6	NAGARAPU GOVARDHAN SAI	ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED		
7	CH. AKSHAY LAXMI ADITYA	ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED		
8	PUTTA JHANAVISRI LAKSHMI MANI SAI	P.V.V.S.K PRASAD, MOB- 9490123588	1	RAJAHMUNDRY
9	TALATAM VANKATA SATHVIK	ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED		
10	GADE SURYA MANI PRANAYA	ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED		

पिया 25/8/20

कृ. पृ. 3.

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

प्राचार्य  
14/8/20  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षणिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Smt. Chinta Anuradha माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, HYDERABAD संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)